''विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिक्ट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006—कार्तिक 12, शंक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 का राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम सं तथा आरंजानुसार. अशोक कुमार पोददार, उप-मचिन

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 29 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) आर्थनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

- (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निर्जी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2006" के नाम से जाना बावेगा.
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से तात्पर्य है, लत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) आधानयम 2005

भग्रामुनी में संशोधन.

भ्या अधितिवस को अनुसूचों के स्थान पर निर्माणिका प्रतिस्थापित को जावेगो, पया :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	हाँ. सो. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिनस एण्ड टेक्नालाबी	र्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियाः १५७३ (क्र. ४४ सन् १९७३)	करमा रोड, कोटा. जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ राज्य	स्तातक, स्तातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमां को तकर्नाकी
		(आई सेक्ट)	पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002			(ऑपयांत्रिकी, ग्रामांण एवं सूचता), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे सर्वाधर्त विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजेकेशनल एण्ड कल्चरल	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन	आरंग–खरोरा हाईवं ग्राम पंचायत गुल्लु. ग्राम गुल्ल	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पोटनक्रमी
		सोसायटी.	1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	तहसील आरंग जिला रायपुर		को प्रवंधन, व्यवसाय, वार्गिच, अभियांत्रिकं, सूचना प्रीद्योगिको, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला
						बवावज्ञान, कामसा, कल एवं मार्नावको, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उसमें मंग्रीधन विषय,

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/टी-342/21-अ/प्रारुपण/06. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदहारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यजाल के नाम से तथा आदेशुनुसार, अशोक कुमार पोददार, उप-सनिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 29 of 2006)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India. as follows:—

 This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006.

Short title and com-

- . (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definition.

"Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

Amendment Schedule.

(1) (2) (3) (4) (5) 161 171 1. Dr. C. V. Raman All India Firms and Kargi Road, Chhattisgarh Under University Society for Societies (Kota) State Graduation, Pos-Electronics and Registration District: Bilaspur Graduation and Computer Act. 1973 Diploma Courses Technology (No. 44 of 1973) in the faculties of (AISECT) Registration Technology No. C. G. State (Engineering, Rural 208 fatorosition: dated 14-8-2002. Science, Commerce, Education and matters if sted to

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu, Village : Gullu, Tehsil : Arang, District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation Post Graduation and Research Courses in the faculties of Management, Business, Commerce, Engineering, Information Technology, Life Sciences, Pharmacy, Arts & Humanities Law, Education and Science and matters related to

गंबजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001.



पंजीयन , ंक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010 :/012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्यांण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम बिस पर दिनांक :4-02-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं, एतद्द्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आरेशानुसार, • डी. यी. याराशर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 6 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ ांनजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें धर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखिः। रूप में यह अधिनियमित

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा चारंभ

हो :-

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निज्ञे विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

 छत्तीसगढ़ निर्जा विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) अधिनियम के अनुसूचों में संस्ल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्निलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविधियां प्रतिरामापित जी जाये, (अर्थात् :==

(1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	कलिंग्ग् विश्व- विद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटो, रायपुर-	फर्म्स एवं स्रोखाइटीज पंजीकरण अधिनयम 1973 (क्र. 44) सन् 1973) पंजीयन क्रमांक 2561 छ. ग. राज्य दिनांक 08-01-04.	ग्राम कोटनी, पतौद, तहसील- आरंग, जिला रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य	कम्प्यूटर साईस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्ना- लाजी, बायो इंफार्नेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नात- कोत्तर एवं अनुसंधान
	. ए.अई.		छत्तीसगढ़ सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधि- नियम. 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 4: एक्टर क्रमांक छ रा. 2:3 दिनांक 25 जुलाई, 2002.			पात्यक्रम. व्यवसाय प्रबंधन, ध्य- वसाय, वाणिष्य, सूचना प्रौद्योः पित्रों परतः सूमनटाजः विधि, शिक्षाः विज्ञान तथा उनसे संबंधित

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) आंधनियम, 2008 (क्रमांक 06 सन् 2011) का अंग्रेजो अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यणल के नाम से तथा आदंशानुसार, डी. पी. पाराशर, उप-सचिव,

CHHATTISGARH ACT (No. 6 of 2011)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of India, as follows:-

- This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Ope a ion) (Amendment) Act, 2006.
 - and Ope a ion) (Amendment) Act, 2006.
 - (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) Act after serial No. (2) the following serial and the entries related thereto, shall be added.

Amendment of

Short title, extent

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kalinga	Bhagwan Bala	Firms and Societies	Gram	Chhattisgarh	Manage-
	University	Sai Educational	Registration Act.	Kotni,	State.	ment Com-
		and Charitable	1973 (No. 44 of	Palod,		puter
		Society, Raipur.	1973) Registration	Teh		Science,
			No. CG State 2561	Arang		Information
			dated 8-1-2004.	District-		Technology,
				Raipur	1	Bio Techno-
				(C.G.)		logy, Bio
						Informatics
						UG and PG
						In Atls.
						Science and
						Commerce
						faculties.

111	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	I.C.F.A.I. University	The I.C.F.A.I. Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 203 dated 25-6-2002.	Gram Chorha, R.I. Circle Ahiwara Dhamdha Distt- Durg (C.G.)		Business Management. Commerce Information Technology Arts, Humanities. Law, Education. Science & related subject.

Engineering.

+

्विननेस पोष्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नंपद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2010-2012.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012-माघ 14, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

क्रजीमान अधिमा

छत्तीसगढ् अधिनियम (क्रमांक 6 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा पारंभ

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :—

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालयं)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
" 5.	आई.टी.एम. विश्व- विद्यालय	आई.टी.एम. स्रोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक- 2755 छ.ग. राज्य दिनांक	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरवारा तहअभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	कम्प्युटर सांईस इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी बायो-देक्नालॉजी बायो-इंफॉर्मेटिक्स कला विज्ञान वाणिज्य इंजीनियरिंग माइक्रोबायआलॉजी
			13-08-2003			 माइक्राबायजाराजा नेनोटेक्नालॉजी फार्मेसी बीमा शारीरिक शिक्षा व्यवसाय प्रवंधन हयूमैनिटीज विधि शिक्षा विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 6 of 2012)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

 This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011.

Short title, extent and commencement.

It extends to the whole State of Chhattisgarh.

1.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2755 CG State

dated 13-08-2003

Amendment Schedule.

ď

2.

In the schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number (4), the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely:—

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponso- ring body	Procedure of establish- ment of Sponsoring	Main campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)			body (4)	(5)	(6)	(7)
**5.	ITM University	ITM Society Raipur		P.H.No137, Village- Uparwara, Tehsil- Abhanpur, District-	Chhattisgarh	Under Graduate Post Graduate and their integrated courses and M.Phil. Ph.D. and other Research courses in-

Raipur,

Pin-

493661

Computer Science.
 Information Technology.

Bio-Technology.

Bio-Informatics.

· Arts.

· Science,

Commerce.

Engineering,

Microbiology,

Nano-technology.

· Pharmacy.

Insurance,

 Physical Education,

 Business Management,

Humanities,

• Law,

· Education Science.

Health Sciences.

 Hotel Management,

Fashion Designing.

 Journalism and Mass Communication,

 Management Technology subjects." ''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भूगतान (बिना डाक टिक्ट) के प्रेमण हेनु अनुमन क्यांक जी 2-22-टब्लीसगद गजट / 38 सि. से. मिताई, टिनांक 30-05-2001."



पंजीवन क्रमांक "इस्तीसमय्/दुर्ग/09/2011-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाश्वित

BRIT 458]

शवपुर, बुरुवार, दिशक 11 अवस्य 2014--- आतम 30, तक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

राक्पुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी. 136/21-अ/ब्राल /छ. ग./14. — फलीसगढ़ विधान सभा का निम्नितिशित अधिनेयम जिल पर विशेष 13-08-2014 को शब्दणात की अनुमति प्राप्त हो चुन्ते हैं, एनद्वारा सर्वसाधारण की अनकारों के लिए प्रकाशित किया जान है.

> एलीशगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अनेकानुसार, शुषमा सामंत्र, अतिरिक्त संविध

छत्तीसगढ् अधिनियम * (क्रमांक 13 सन् 2014)

छत्तीसगद निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संत्रोधन) अधिनियम, 2014

छस्तीसगद निजी विश्वविद्यात्म (स्यापना एवं संचातन) अधिनियम, 2005 (≢. 13 सन् 2005) को और संसोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैसडर्जे वर्ष में छलीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निज्नतिष्ठित रूप में यह अधिक्यियत हो .

संक्षिप्तः व प्रशंभ	ाम, जिस्सार सधा	1		य्द्र अधिनियम् सलीसगर १९१४ कहलास्याः	स्तिती विश्वविद्याल	य (स्थापना एवं	संचातन) (संगोपन) आंधनियम		
			(2)	सका विस्तार सम्पूर्ण छत्ती	सम्बद्ध राज्य पर होगा				
			(3)	ग्रह राजपत्र में इनके प्रकाश	न की तारीख से प्रमृत	न होया			
प्राप्त 9 मा लंबीपन.		2.	इसके पत्रनार	कत्तीरमाद निजी विस्तविद्यालय (स्थापना एवं संचातन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (क्रे इस इसके परचात् मून अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं) की धारा ९ की उप-धारा (2) के पर चात् विस्तितिह अंत स्थापिक निया जाये, अर्थात् :-					
		Ġ	"(इक) उ विकासियास सकेगी,"	हय-धारा (2) में जंतर्विष्ट है य की स्थापना हेतु, राज्य र	केती बात के होते हुए सरकार, दो क्वां से आ	भी, इस पान व पेक समय पूर्व ।	ति उप-धारा (१) के अंतर्क कियं प्रस्तुत आयोजन पर भी विचय का		
મનુસૂચી (कः संशोधनः	3,	मृत अधिनिय जोडी अमें ,	ाम की अनुसूची में, सराव क अर्थात् :-	मंड इ के प्रस्तान, वि	धमनिविद्यान तरह	र प्रमाण एवं उससे संबंधित प्रवेहिए		
π. ≆.	निजी विश्वविद्यात	a	प्राचीतक विकास का सम	प्राप्तेजक निकाय की कर नाम	मुख्य चरिसर स्थापना की प्रक्रिया	क्षेत्रफिकार (संख्यानव)	ভিন্নতা কাৰ্য্যক্ৰম		
(1)	(2)	_	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
**6.	एनिटी युनिवसिंटी	13	धी पितनंद बतबेद इंटरनेजनस एजुकेजन काउन्तेशन	सोसाइटी पंजीकरण स्वीविष्यम्, १९६० (१८६० का सं २६) पंजीपन क्र एस- 10655 सन् १९९६	ग्राम-माँउ सहस्रील-नित्या किला-रायपुर सनीत्मद	छत्तीसम्बद्	 कता, कियान वाध्यत्व, क्वीदियरित, केनी-टेक्नीस्वर्धता, 		

_					7.33	in
_		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	(2)ओ. घी. जिन्दत यूजिनॉसंटी	जिन्दल एकुकेशन एग्ड चेलकेश सोसागडी	छत्तीसम्ब सोमाबदी रॉजर्स्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक ४४ सन् 1973) वंजीवर क्रमांक बी. एस. 2171, वितांक	बालेज पार्कः ग्राम-पुंजीपधराः तहसीत-प्रश्चीदाः	छत्तीसगइ	• इंग्रीनियाहित एवं टेक्नावरीय संबंध्यः • मिन्नग्रीट विद्यान शंकायः • विद्यान संकायः • किसा संकायः • सारीहिक विद्यान शंकायः

संपनुर, दिनांक 21 अगात 2014

क्रमांक 7347/डी: 134/21-अ/बारू./च. ग./14 — भारत के संविधान के अनुबोल 348 के सण्ड (3) के अनुसरण में चनतीसगढ़ निजी असाक ७३७४७७६ १३६८४१-अ/आरु., ए. ग.(14.— साल क सावधान क अनुस्थम ३८६ क अनुसरण म छनासम्य । विक्रमित्यास्य (स्थापना एवं संजातन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमंत 13 सन् 2014) को अंग्रेजी अनुबाद ग्राव्यास के प्राधिकार से एनव्यास चन्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकारित किया जाना है

सुबमा सार्वत, अतिहिक्त सन्धित

CHHAITISGARH ACT (No. 13 of 2014)

THE CHHATTISGARII PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) -

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:

- This Act may be called the Chhattisgath Private Universities Short title, extent and (Establishment and Operation) (Ameedment) Act, 2014.
 - It extends to the whole State of Chhattisgarh.
 - It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette (2)
- After sub-section (2) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely:
 - "(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), to establish a private university under sub-section (1) of this Section, the State Government may also consider any application submitted before the period of more than two years."

345)

4

Amendment of 3. In the Schedule to the Principal Act, after serial number 5, the following serial number and entries relating therto, shall be added, namely:

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring hody	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
**6.	Amity University	Shr. Remand Balved International Education Foundation	The society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1880) Registration No. S-30655 of 1996, dated 19-12-1996	Vallage-Manth Tabsd-Tikla District-Raipur Chhattisgarh	Chlottisgarli	Under Grahame, Post Graduate and their integrated courses M. Phil., Ph. D. and other research courses in - Aris, Science, Commerce, Engineering, Nano-technology, Business Management, Law, Hotel Management, Fashout Designing.
*	O. P. Jindal University	Jindal Education and Welfare Society.	The Chhattisgarh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. B. 5, 2171, dated 4-5-1998	O. P. Jindal Knowledge Park, Village- Punjipathra, Tetsal- Gharghoda, District- Raigarh Chhattisgarh	Chhettisgarh	Faculty of Engineering Technology, Faculty of Management Science, Faculty of Science, Faculty of Education, Faculty of Physical Education*

'बिजनेस पीस्ट के अलाजी डाक शुरू के साथ धुमारान (बिया डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छलीजयद गजट / 38 सि. से. जिलाई दिनांक 30-05-1001."



पंजीवन क्रमांक "फर्लोसगद्/दुर्ग/२१/2013-2015,"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

सम्पंत 288]

रायपुर, शुक्रवार, विलीक 15 मई 2015— वैशास 25, सब 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रातय, महानदी भवन, नया शवपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 4562/डी 154/11-अ/शास-/छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का विनासिखत अधिनियम द्विस पर वितास ११-९५-1915 को राज्यपान की अनुमति प्राप्त हो सुकी है, एणदृहार। सर्वसाधारण की जानकारी के निए प्रकारित किया जाता है.

> छत्तीलगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. सुषमा सार्वत, अतिरिक्त सन्विव

छलीसगढ अधिनियम (ब्रमांब 11 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं शंचालन) अधिनियम, 2005 (क. 13 सन्, 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत नवाराज्य के खिदासठमें वर्ष में छल्तीसन्द विधानमण्डल द्वारा विम्नतिश्वित रूप में वह अधिनियमित हो :-

संशिष्ण भाव, विस्तार

| (1) पह अधिनियम छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संवालन) (संवीपन) अधिनियम, 2015
सहनायेगा

(2) इसका विश्वार शर्मणूर्ण छत्तीरगढ राज्य पर होना

(3) यह राज्यप्य में इसके प्रकारण की नारीख से प्रकृत्व होना

(4) यह राज्यप्य में इसके प्रकारण की नारीख से प्रकृत्व होना

(5) उत्तरियाद निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (ज. 13 सन् 2005) (जो इसके प्रकार मूल आधिनियम के रूपमें में प्रकृति होने की प्रमा र की जब-पास (3) में, अंब "25,000" के स्थान पर, अंब

"1,00,000" प्रतिस्थापित किया जाये,

सारा 11 का क्षेत्रीयन

(1) मूल अधिनियम की प्रारा 11 की ज्या-पास (1) के खण्ड (क) में, इन्ह "एक करोड रुपये" के स्थान पर, अंब

"दीन अग्रेड रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये,

रायपुर, विनोक 14 मई 2015

क्रमांक 4562/डी. 154/21-अ/प्रारू /छ.म./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुस्तण में इस विधान की समसंख्यक अधिसूचना विशोक 14-05-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यवान के प्रार्थिकार से एसद्दारा प्रकाशित किया जाना है.

> छलीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सार्वत, अजिल्ला सर्विव

CHHATTISGARH ACT (No.21 of 2015)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amond the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:

1. (1) This Act may be called the Chattistarth Private Universities Short title, extrait (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarth.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (3) of Section 7 of the C hhattisgarth Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), (bereinafter referred to as the Principal Act), for the figure "23,000", the figure "1,00,000" shall be substituted.

3. (1) In clause (8) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "One crore rupees", the words "Three errore rupees" shall be substituted.

(2) In clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "Three errore rupees" shall be substituted.

"विज्ञान पास के अन्योत जाक गुन्त के नात भूगान (बिना जाक दिस्ट) के प्रणा तेतु अनुमत प्रमाक औ १-२१-छन्तीसन्द्र गजर / 18 सि. म. प्रिन्ति विज्ञात 10-18-2001"



अनामः अन्यान् । जान् ।

छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

ppie 411]

नवपुर, बुधवार, दिलाव १७ मिनासम ३४१४— प्राप्त 26 सन्छ १९३८

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रानय, महानदी भवन, नया रायपुर

1929), festis 14 festis 2014

अधिसुचना

क्रमान एक ५-६/३०१२) १४-१ — राजीमगढ निजी किञ्चीनवानय (स्थापना एवं संचानन) ऑपिन्यम, 2005 (ज. १) राज २००५ (जं. १) ४२ अण ४५० राजिनमा वे राजे हुए , राज्य सरकार, एनश्कारा, राजीसगढ निजी किञ्चीनवानय (स्थापना एवं संचानन) नियम, 2005 में निजीतिहरून और मओपन करती है, अधीन -

संशोधन

उस्त नियमों में -

- । नियम (4 के उप-नियम (18) में जब्द अंक एवं चिन्ह " त्यारे (800/ " के स्थान पर श्रन्त एवं अंक "क 2000" प्रतिस्थापन किया जाये
- 1 निवास १७ के खणड (व) में अब्द अंक एवं विका " रुपये 500) " के स्थान पर अब्द एवं अंक " रु. 1000" प्रतिस्थाधित किया जाये

छन्तीसगढ के राज्याल के नाम से नथा आरंशानुसार **एम. एस. गुप्ता,** उप-शर्मिक

राजपुर, विकास १६ सिनायर १६१४

कमांक एफ. 5-6/2012/38-2. — भारत के संविधान के अनुस्टेंद्र 348 के खणड़ (3) के अनुसरण में, इस विधान की अधिस्तृयना क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2. दिनोंक 16-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यात के प्राधिकार से एक्ट्यूस क्रमातित किया जाता है.

> छल्तीसम्ब के राज्यपात के नाम से तथा आदेशानुसार, सम. एत. गुप्ता, उप-कवित

Raipur, the 16th September 2014

NOTIFICATION

No. 1 5-6/2012/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chirattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chirattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, namely:

AMENDMENT

In the said rules -

- 1 In sub-rule (19) of rule 14, for the word, figure and symbol "Rs. 1000-", the word and figure "Rs. 2000" shall be substituted.
- In classes (e) of rule 17, for the word, figure and synthol "Rs 500-", the words and figure "Rs 1000" shall be substituted.

By order and in the turne of the Governor of Chhartisgadi. M. L. (RBTA: Deputy Secretary